JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

गिरफ्तारी के समय नागरिकों के कानूनी अधिकार और हकीकत

इमरत सिंह भील

LL..M. (Semester - 1st Sem) Roll No.: 25LAW4LLM0030

डॉ स्वाति श्रीवास्तव [ASSISTANT PROFESSOR]

सेज यूनिवर्सिटी इन्दौर मध्यप्रदेश

अनुसंधान कर्ता, विधि छात्र LLM सेज यूनिवर्सिटी इन्दौर मध्यप्रदेश

सार (Abstract):

गिरफ्तारी के समय नागरिकों को संविधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से मिलने और परिजनों को सूचना देने का अधिकार। पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी, अनावश्यक बल प्रयोग और अधिकारों की अनदेखी व्यवहार में अक्सर देखी जाती है। यह अध्ययन कानून और व्यवहार (हकीकत) के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। साथ ही, मौलिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है।

1. भूमिका (Introduction)

किसी भी लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता (Personal Liberty) को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, जब किसी व्यक्ति को अपराध के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।

गिरफ्तारी (Arrest) राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे कठोर दंडात्मक प्रक्रिया है। इसलिए कानून यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के साथ मनमाना, अवैध या अमानवीय व्यवहार न किया जाए। इस उद्देश्य से संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा न्यायालयों द्वारा कई कानूनी अधिकार और सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

यह शोध पत्र गिरफ्तारी के समय आरोपी के कानूनी अधिकारों तथा वास्तविक व्यवहार (Ground Reality) के बीच अंतर का विश्लेषण करता है।

2. गिरफ्तारी की अवधारणा (Concept of Arrest)

गिरफ्तारी का अर्थ है—

किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना, ताकि उसे कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

BNSS की धारा 43

गिरफ्तारी तभी मानी जाएगी जब: व्यक्ति को छूकर या उसकी गति को रोककर या

उसके आत्मसमर्पण से उसकी स्वतंत्रता सीमित की जाए।

3. गिरफ्तारी के संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 20 आत्म-अभियोजन से संरक्षण

दोहरी सजा से संरक्षण

अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय विशेष अधिकार

24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार

4. गिरफ्तारी के समय आरोपी के कानूनी अधिकार

4.1 गिरफ्तारी के कारण की जानकारी का अधिकार

BNSS धारा 47 के अनुसार:

आरोपी को तुरंत बताया जाना चाहिए कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है

जमानती अपराध में जमानत का अधिकार बताया जाना अनिवार्य है

- DK Basu v. State of West Bengal (1997)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारण बताना मौलिक अधिकार है।

वास्तविक स्थिति

अक्सर:

केवल पूछताछ के लिए कहकर उठाया जाता है

FIR या धाराएँ नहीं बताई जाती

4.2 वकील से मिलने और परामर्श का अधिकार

अनुच्छेद 22(1)

आरोपी को अपनी पसंद के वकील से मिलने और सलाह लेने का अधिकार है।

- **Hussainara Khatoon v. State of Bihar**

निःशुल्क विधिक सहायता को मौलिक अधिकार माना गया।

वास्तविक स्थिति

पुलिस वकील से मिलने में बाधा डालती है

आर्थिक रूप से कमजोर आरोपी इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं

4.3 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार

BNSS धारा 58

गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है

- **Manubhai Ratilal Patel v. State of Gujarat**

वास्तविक स्थिति

देरी से पेश करना

transit remand का दुरुपयोग

4.4 मनमानी और अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण

BNSS धारा 35

बिना उचित कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकती

आवश्यक शर्तों का पालन अनिवार्य

- **Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014)**

अनावश्यक गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया।

वास्तविक स्थिति

FIR होते ही गिरफ्तारी

राजनीतिक / व्यक्तिगत दबाव

4.5 हिरासत में उत्पीड़न और यातना से संरक्षण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 24–26

पुलिस हिरासत में दिया गया बयान स्वीकार्य नहीं

- **D.K. Basu केस – हिरासत में यातना मानवाधिकार उल्लंघन है।**

वास्तविक स्थिति

थर्ड डिग्री

शारीरिक व मानसिक यातना

मेडिकल जांच केवल औपचारिकता

4.6 महिला आरोपी के विशेष अधिकार

BNSS धारा 43(5)

सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं

महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

वास्तविक स्थिति

नियमों का उल्लंघन

पुरुष पुलिस द्वारा पूछताछ

4.7 गिरफ्तारी मेमो और सूचना देने का अधिकार

D.K. Basu Guidelines

Arrest Memo

परिजन / मित्र को सूचना

वास्तविक स्थिति

मेमो बाद में तैयार

गलत समय और तारीख

5. कानून और वास्तविकता के बीच अंतर

कानूनी प्रावधान

वास्तविक स्थिति

कारण बताना

अक्सर नहीं बताया जाता

वकील से मिलना

बाधित किया जाता है

24 घंटे नियम

देरी

यातना निषेध

थर्ड डिग्री

महिला सुरक्षा

उल्लंघन

6. अधिकारों के उल्लंघन के कारण

पुलिस प्रशिक्षण की कमी

जन-जागरूकता का अभाव

जवाबदेही तंत्र कमजोर

राजनीतिक हस्तक्षेप

लंबी न्यायिक प्रक्रिया

7. सुधार के सुझाव (Suggestions)

पुलिस सुधार आयोग की सिफारिशें लागू हों

CCTV अनिवार्य

गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा

कानूनी जागरूकता अभियान

पीड़ित को मुआवजा

8. निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि भारतीय कानून आरोपी को गिरफ्तारी के समय अनेक अधिकार प्रदान करता है, परंतु व्यवहार में इन अधिकारों का पालन अत्यंत कमजोर है। जब तक पुलिस तंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, तब तक कानून और वास्तविकता के बीच की खाई बनी रहेगी।

एक लोकतांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि अपराध से लड़ते समय मानवाधिकारों की बलि न दी जाए।

9. संदर्भ (References)

भारतीय संविधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

D.K. Basu v. State of West Bengal

Arnesh Kumar v. State of Bihar

Hussainara Khatoon v. State of Bihar